रबी मौसम, 2024-25 में विभिन्न फसलों के बीज अनुदानित दर पर प्राप्त करने संबंधित सूचना

सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग अन्तर्गत रबी मौसम, 2024–25 की विभिन्न योजनाओं में रबी फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

योजना में विभिन्न फसलों के बीज का मूल्य दर एवं अनुमान्य अनुदान राशि का विवरण निम्नवत है:–

क्र0	योजना का नाम	विभिन्न कार्यक्रम घटक	फसल का नाम	मूल्य दर (रू0/कि0ग्रा0)	अनुमान्य अनुदान राशि (रू0/कि0ग्रा0)	अधिकतम रकवा जिसके लिए बीज देय है
1	राज्य योजना	मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना	गेहूँ	43.86	36	आधा एकड़
2	केन्द्र प्रायोजित योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	गेहूँ (10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद)	43.86	20	5 एकड़
			गेहूँ (10 वर्ष से अधिक अवधि के प्रभेद)	43.86	15	5 एकड़
3	केन्द्र प्रायोजित योजना	सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल	गेहूँ	43.86	16	1 एकड़
4	केन्द्र प्रायोजित योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मसूर	133.50	106.80	5 एकड़
			तेलहन (राई/सरसो)	123.00	98.40	5 एकड़
5	केन्द्र प्रायोजित योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	चना	120.00	78.72	5 एकड़
			मटर	116.50	91.60	5 एकड़

आवेदन की अंतिम तिथि:–15 नवम्बर, 2024

DBT Portal (https://dbtagriculture.bihar.gov.in)/BRBN Portal (brbn.bihar.gov.in) लिंक पर इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न रबी फसलों के बीज प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसान अपनी सुविधा अनुसार Android Mobile/Computer/ कॉमन सर्विस सेन्टर/वसुधा केन्द्र/साईबर कैफे के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन स्वीकृति के पश्चात् किसान को एक OTP प्राप्त होगा। किसान प्रखंड के निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना OTP बताकर बीज प्राप्त कर सकेंगे। अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान किसान के द्वारा किया जायेगा।

किसानों के घर तक बीज पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी की भी व्यवस्था है। ऑनलाईन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुँचाया जायेगा। किसान को होम डिलीवरी में बीज आपूर्ति होने पर गेहूँ के लिए 2.00 रू0 एवं अन्य फसलों के लिए 5.00 रू0 प्रति कि॰ग्रा॰ की दर से अलग से भुगतान करना होगा।

नोट: अधिक जानकारी हेतु अपने निकटत्तम कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

PR No.- 009625 (Agriculture)D. 2024-25